

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 236/2015

दायर दिनांक-12-10-2015

मू० अणची देवी पुत्री कजोड स्त्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी भैरुगढ़ तन झाखोडा तहसील चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।

- वादिया

बनाम

1. छोगालाल पुत्र कजोड
2. केशर पुत्र कजोड (फौत)
- 2/1. सुरजी देवी पत्नी केसर
- 2/2. बिमला पुत्र केसर
- 2/3. संतरा पुत्री केसर
- 2/4. कृष्णा पुत्री केसर
- 2/5. शारदा पुत्री केसर
- 2/6. संजू पुत्री केसर
- 2/7. मंजू पुत्री केसर
- 2/8. पूजा पुत्री केसर
3. महावीर पुत्र मोहन
4. दुर्गाराम पुत्र मोहन
5. प्रेमचन्द पुत्र मोहन
6. श्योकोरी बेवा मोहन
7. रामावतार पुत्र रामेश्वर  
समस्त जाति अहीर निवासीगण खेसवा की ढाणी परसरामपुरा तहसी लनवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. पतासी देवी पुत्री कजोड स्त्री रामनाथ जाति अहीर निवासी भैरुगढ़ तन झाखोडा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राजस्थान। ?
9. तारामणी पुत्री कजोड स्त्री रुघनाथ जाति अहीर निवासी उदयपुरिया मोड तहसील दातारामगढ जिला सीकर राजस्थान।
10. छोटी देवी पत्नी किशनाराम
11. बंशीधर पुत्र किशना
12. मंगलचन्द पुत्र किशना
13. रूपाबाई पुत्री मालाराम  
जाति अहीर निवासीगण खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. वी.के. शर्मा पुत्र जे.पी. शर्मा जनरल मैनेजर श्री सीमेन्ट लिमिटेड राजिस्टर्ड ऑफिस बागड नगर ब्यावर तहसील ब्यावर।
15. घनश्याम जोशी पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी प्रतापनगर, टोंक फाटक जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।
16. शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
17. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैंक शाखा नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
18. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा घूमचक्कर नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ।

-प्रतिवादीगण



वकील वादी : - श्री रामाकांत गौड़  
वकील प्रति. नं. :- श्री पंकज कुमार जांगिड़  
वकील प्रति. नं. :- श्री अशोक कुमार जांगीड़

दावा बाबत घोषणार्थ व  
रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)  
नवलगढ़

-:: निर्णय ::-

दिनांक-31-08-2022

प्रतिवादी नम्बर 01 श्री छोगालाल द्वारा प्रस्तुत प्रति-दावा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :-  
 वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78, 79, 80 रकबा क्रमशः 1.65, 0.06, 1.50 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तथा खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409, 626, रकबा क्रमशः 1.52, 1.06, 1.07, 0.65 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर वाके ग्राम चौड़ाणी वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के पूर्वज स्व0 कजोड़ की खातेदारी की भूमि रही है। स्व0 कजोड़ के 7 पुत्र व 3 पुत्रियां संतान हुई जिनमे से एक पुत्र औंकार अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया, जिसका हिस्सा सभी भाई बहिनो में बराबर-बराबर बंट गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित प्रत्येक भूमि में वादिया का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 1/9 - 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामा देवी पुत्री रामेश्वर का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक का हिस्सा 1/9 - 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम का हिस्सा 1/9 है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से दर्ज होने से वादीया के मन में बेईमानी आ गई जिसने नाजायज फायदा उठाकर कजोड़मल के समस्त वारिसान को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया और वंशावली भी गलत अंकित कर वादग्रस्त भूमि जो सीमेन्ट प्लांटस में आ जाने के कारण अपना हक हिस्सा अधिक बताकर यह झुठा वाद-पत्र पेश किया है। जबकि वादीया को उपरोक्त वर्णित अनुसार स्व0 कजोड़ के समस्त वारीसान को पक्षकार बनाकर अपना 1/9 - 1/9 हिस्सा की खातेदार काश्तकार होने का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था।

वाके ग्राम चौड़ाणी की सरहद में भूमि खाता संख्या 211 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 983, 984, 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 रकबा क्रमशः 0.095, 0.08, 0.01, 0.08, 0.21, 0.32, 0.21, 0.42, 0.70, 0.42, 1.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में स्व0 कजोड़ का 1/4 हिस्सा दर्जशुदा था। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि 4.42 है0 में वादीया का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक का हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम का हिस्सा 1/36 है तथा शेष 3/4 हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदार जो जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार है, परन्तु राजस्व रिकार्ड गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 13 के नाम 2/28 हिस्सा, रामेश्वर, छोगालाल, केशर पिता कजोड़ के 3/28 हिस्सा, महावीर, दुर्गालाल, प्रेमचन्द पिता मोहन, श्योकोरी पत्नी मोहन हिस्सा 1/28, तथा छोटी देवी पत्नी किशना, बंशीधर, मंगलचन्द पिता किशना हिस्सा 1/28 दर्जशुदा होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीया ने अपना 7/28 हिस्सा में अपना हक अधिकार की मांग की गई है। जबकि वादीया का हिस्सा 1/36 है। हालांकि इस गलत राजस्व रिकॉर्ड से जवाबदेहन्दागण के कब्जाकाश्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी भविष्य में चलकर जवाबदेहन्दागण के हक अधिकारों पर कभी-भी कुठाराघात हो सकता है। ऐसी हालत में उपरोक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 211 में वादीया को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा 1/36 का खातेदार काश्तकार घोषित

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)  
 नवलगढ

किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा शेष 3/4 हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदारों को जमाबन्दी में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कभी कोई कब्जा-काश्त नहीं रहा है तथा न ही वाद-पत्र में वर्णित अनुसार कोई हक हिस्सा है इसके बावजूद वादीया ने उक्त दावा पेश कर बाला-बाला जवाबदेहन्दागण को कोई सूचना दिये बिना माननीय न्यायालय से वाद डिक्री करवाया और नाजायज रूप से उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरण वादग्रस्त भूमि में खुलवा लिया है। अब उक्त निर्णय माननीय राजस्व अपील अधिकारी, झुन्झुनू ने दिनांक 28.07.2016 को निरस्त कर दिया है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादीया अपने नाम गलत रूप से दर्ज हिस्सा पर लठ के बल पर कब्जा कर विक्रय करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78 रकबा 1.65 है०, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 80 रकबा 1.50 है० कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 है० वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तथा खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 1.52 है०, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06 है०, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.07 है०, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.65 है० कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 है० वाके ग्राम चौड़ाणी तथा खाता संख्या 211 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 0.95 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.70 है०, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.02 है० कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 है० वाके ग्राम चौड़ाणी में वादीया के नाम से दर्ज भूमि को वादीया द्वारा लठ के बल पर कब्जा कर विक्रय करने का उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर वादीया अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गई तो प्रतिवादीगण/जवाबदेहन्दा को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असम्भव होगा। प्रतिवादीगण/जवाबदेहन्दा को अनावश्यक मुकदमे बाजी में फंसना होगा। इसलिये वादीया को पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78 रकबा 1.65 है०, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 80 रकबा 1.50 है० कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 है० वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तथा खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405 रकबा 1.52 है०, खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06 है०, खसरा नम्बर 409 रकबा 1.07 है०, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.65 है० कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 है० वाके ग्राम चौड़ाणी तथा खाता संख्या 211 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 983 रकबा 0.95 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 987 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.21 है०, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.70 है०, खसरा नम्बर 996 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 997 रकबा 1.02 है०, कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 है० वाके ग्राम चौड़ाणी में प्रतिवादीगण की हिस्सेदारी की भूमि में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं डाले अथवा न अन्य किसी अपने प्रतिनिधि, नौकर-चाकर, संबंधी आदि से डलवाये। इसी गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का विक्रय-पत्र न तो स्वयं करें अथवा न अपने अधिनस्थ किसी नौकर-चाकर, प्रतिनिधि, संबंधित आदि से विक्रय-पत्र करवाये। मौका व रिकॉर्ड की यथार्थिथि बनाई रखी जावे।

काउन्टर-क्लेम के लिए वाद कारण वादीया द्वारा स्वयं कजोड की गलत वंशावली दर्ज कर सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाकर अपना हिस्सा गलत बताकर झुठा वाद वादग्रस्त भूमि बाबत पेश करने व डिक्री खारीज होकर यह वाद पुनः दर्ज होने पर इस तथ्य का पता चलने व उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड बनने से लठ के बल पर कब्जा करने की कुचेष्टा करने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। ऐसे दावे के लिये खातेदार काश्तकार को हमेशा ही वादकारण पैदा रहता है।

प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा अपने प्रति-दावे में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि काउन्टर-क्लेम बहक उतरदाता संख्या 1 खिलाफ वादीया डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78, 79, 80 रकबा क्रमशः 1.65, 0.06, 1.50 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तथा खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409.

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)  
नवलगढ

626, रकबा क्रमशः 1.52, 1.06, 1.07, 0.65 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर वाके ग्राम चौड़ाणी में स्थित प्रत्येक भूमि में वादीया को हिस्सा  $1/9$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा  $1/9 - 1/9$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा  $1/9$  तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रमा देवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा  $1/9$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा  $1/9 - 1/9$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम को हिस्सा  $1/9$  तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा  $1/9$  का खातेदार काशतकार घोषित किया जावें तथा भूमि खाता संख्या 211 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 983, 984, 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 रकबा क्रमशः 0.095, 0.08, 0.01, 0.08, 0.21, 0.32, 0.21, 0.42, 0.70, 0.42, 1.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर वाके ग्राम चौड़ाणी में वादीया को हिस्सा  $1/36$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा  $1/36 - 1/36$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा  $1/36$  तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा  $1/36$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा  $1/36$  व  $1/36$  तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम को हिस्सा  $1/36$  तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा  $1/36$  का खातेदार काशतकार घोषित किया जावें तथा शेष  $3/4$  हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदारों को जमाबन्दी में दर्ज अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जावें। इसी अनुसार खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार, नवलगढ़ को दिया जावें।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण/जवाबदेहन्दागण इस आशय से फरमाई जावें कि भूमि खाता संख्या भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78, 79, 80 रकबा क्रमशः 1.65, 0.06, 1.50 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तथा खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409, 626, रकबा क्रमशः 1.52, 1.06, 1.07, 0.65 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर वाके ग्राम चौड़ाणी तथा भूमि खाता संख्या 211 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 983, 984, 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 रकबा क्रमशः 0.095, 0.08, 0.01, 0.08, 0.21, 0.32, 0.21, 0.42, 0.70, 0.42, 1.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर वाके ग्राम चौड़ाणी में प्रतिवादीगण के हिस्सेदारी की भूमि में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं डाले अथवा न अन्य किसी अपने प्रतिनिधि, नौकर-चाकर, संबंधी आदि से डलवाये। इसी तरह गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का विक्रय-पत्र न तो स्वयं करें अथवा न अपने अधीनस्थ किसी नौकर-चाकर, प्रतिनिधि, संबंधित आदि से विक्रय-पत्र करवाये। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

वादी का वाद पत्र में नियत दिनांक 04.05.2022 को वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज सुनाने के बावजूद इनकी ओर कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने व वादिया के उपस्थित नहीं होने को कोई कारण स्पष्ट नहीं होने के फलस्वरूप वाद वादिया अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादिया द्वारा अपनी प्रति-रक्षा में कोई जवाब प्रति-दावा भी पेश नहीं किया गया है। और बहस की प्रक्रम तक कोई आवेदन भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है।

प्रतिवादी नम्बर 01 का प्रति-दावे में कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तदपश्चात् शहादत प्रतिवादी ली गई। शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी स्वयं छोंगालाल उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण का शपथ-पत्र पेश किया तथा अपने प्रति-दावे के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श-डी 1 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2058, प्रदर्श- डी 2 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2058, प्रदर्श- डी 3 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1985, प्रदर्श- डी 4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2021-2024, प्रदर्श- डी 5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2024-2028, प्रदर्श- डी 6 नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2044, प्रदर्श- डी 7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2048-2051, प्रदर्श- डी 8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2052-2055, प्रदर्श- डी 9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2059-62, प्रदर्श- डी 10 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063-2066, प्रदर्श- डी 11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2058 आदि प्रदर्शित करवाये गये।

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)  
नवलगढ़

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील प्रतिवादी नम्बर 01 एकपक्षीय बगौर सुनी गई। प्रतिवादी नम्बर 01 अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रतिदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78, 79, 80 रकबा क्रमशः 1.65, 0.06, 1.50 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम खेसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तथा खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409, 626, रकबा क्रमशः 1.52, 1.06, 1.07, 0.65 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर वाके ग्राम चौढाणी वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के पूर्वज स्वर्गीय कजोड की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि सम्वत् 2021 से 2028 तक दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। पत्पश्चात सम्वत् 2035 से 2043 तक सैटलमेंट चला तो सैटलमेंट के दौरान उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से आधार वर्ष 2044 में हुआ। जिसके अनुसार वर्णित भूमि रूपाबाई पुत्री मूला, मूला, मोहन, रामेश्वर, किशन, छोगालाल, केशर पिता कजोड कौम अहीर के नाम आ गई। जमाबंदियां सम्वत् 2048-2051 2052-2055, सम्वत् 2058, 2059-2062, 2063-2066 इनके नाम से गलत रिकार्ड चलता आ रहा है। स्व0 कजोड के 7 पुत्र व 3 बहिनों में बराबर-बराबर बंट गया। उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादीया का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी संख्या 2 फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामा देवी पुत्री रामेश्वर का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक का हिस्सा 1/9 - 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम का हिस्सा 1/9 है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से दर्ज होने से वादीया द्वारा कजोडमल के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया और वंशावली भी गलत अंकित कर वादग्रस्त भूमि जो सीमेन्ट प्लांटस में आ जाने के कारण अपना हक हिस्सा अधिक बताकर वाद-पत्र पेश किया है। जबकि वादीया को उपरोक्त वर्णित अनुसार स्व0 कजोड के समस्त वारीसान को पक्षकार बनाकर अपना 1/9 - 1/9 हिस्सा की खातेदार काश्तकार होने का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था।

इसी प्रकार वाके ग्राम चौढाणी की सरहद में भूमि खाता संख्या 211 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 983, 984, 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 रकबा क्रमशः 0.095, 0.08, 0.01, 0.08, 0.21, 0.32, 0.21, 0.42, 0.70, 0.42, 1.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में स्व0 कजोड का 1/4 हिस्सा दर्जशुदा था। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि 4.42 है0 में वादीया का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक का हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम का हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम का हिस्सा 1/36 है तथा शेष 3/4 हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदार जो जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार है, परन्तु राजस्व रिकार्ड गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 13 के नाम 2/28 हिस्सा, रामेश्वर, छोगालाल, केशर पिता कजोड के 3/28 हिस्सा, महावीर, दुर्गालाल, प्रेमचन्द पिता मोहन, श्योकोरी पत्नी मोहन हिस्सा 1/28, तथा छोटी देवी पत्नी किशना, बंशीधर, मंगलचन्द पिता किशना हिस्सा 1/28 दर्जशुदा होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीया ने अपना 7/28 हिस्सा में अपना हक हिस्सा 1/28 दर्जशुदा होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीया ने अपना 7/28 हिस्सा में अपना हक अधिकार की मांग की गई है। जबकि वादीया का हिस्सा 1/36 है। हालांकि इस गलत राजस्व रिकॉर्ड से जवाबदेहन्दागण के कब्जाकाश्त में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी भविष्य में चलकर जवाबदेहन्दागण के हक अधिकारों पर कभी-भी कुठाराघात हो सकता है। ऐसी हालत में उपरोक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 211 में वादीया को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का हिस्सा 1/36, प्रतिवादी संख्या 2 का फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3

ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)  
नवलगढ

लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा 1/36 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा शेष 3/4 हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदारो को जमाबन्दी में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वर्णित वादग्रस्त भूमि दस्तावेजी साक्ष्य से पैतृक भूमि होना प्रमाणित है। पैतृक सम्पत्तियों में प्रत्येक वारिसान का हक अधिकार होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से पैतृक साबित पाये जाने पर प्रतिवाद प्रतिवादी नम्बर 01 विरुद्ध वादिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रति-दावा प्रतिवादी नम्बर 01 विरुद्ध वादिया स्वीकार किया जाता है।

### :: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकाश में प्रतिदावा प्रतिवादी नम्बर 01 पूर्णतया साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खेसवा की ढाणी स्थित भूमि खाता संख्या 92 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 78, 79, 80 रकबा क्रमशः 1.65, 0.06, 1.50 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम चौडाणी स्थित भूमि खाता संख्या 210 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409, 626, रकबा क्रमशः 0.52, 1.06, 1.07, 0.65 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर भूमि में वादिया को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 को हिस्सा 1/9, प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामा देवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा 1/9, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा 1/9 - 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

राजस्व ग्राम चौडाणी स्थित भूमि खाता संख्या 211 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 983, 984, 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 रकबा क्रमशः 0.095, 0.08, 0.01, 0.08, 0.21, 0.32, 0.21, 0.42, 0.70, 0.42, 1.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर में वादीया को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/36, प्रतिवादी संख्या 2 का फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा 1/36 का तथा शेष 3/4 हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदारो को जमाबन्दी में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं कर ना ही किसी अन्य से करवाये। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प. सी. इ. लि. (का. दे.)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
नवलगढ़ जिला झुन्धुनू

12

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़  
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व  
रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०:- 236/2015 ( अणची देवी बनाम छोगालाल आदि )

पर्चा-डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2022 निर्णय अनुसार प्रतिवादी नम्बर 01 का प्रति-वाद ग्राम खेसवा की ढाणी स्थित भूमि खाता संख्या 92 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 78, 79, 80 रकबा क्रमशः 1.65, 0.06, 1.50 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.21 हैक्टेयर तथा वाके ग्राम चौढाणी स्थित भूमि खाता संख्या 210 के अर्न्तगत भूमि खसरा नम्बर 405, 408, 409, 626, रकबा क्रमशः 1.52, 1.06, 1.07, 0.65 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.30 हेक्टेयर भूमि में वादिया को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 को हिस्सा 1/9, प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामा देवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा 1/9, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा 1/9 - 1/9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम का हिस्सा 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व ग्राम चौढाणी स्थित भूमि खाता संख्या 211 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 983, 984, 985, 987, 991, 992, 993, 994, 995, 996 रकबा क्रमशः 0.095, 0.08, 0.01, 0.08, 0.21, 0.32, 0.21, 0.42, 0.70, 0.42, 1.02 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.42 हैक्टेयर में वादीया को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/36, प्रतिवादी संख्या 2 का फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 व मनोहरी देवी, श्याना देवी पुत्रियां मोहन को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी बहन रामादेवी पुत्री रामेश्वर को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 प्रत्येक को हिस्सा 1/36 व 1/36 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 व फुली देवी, संतोष देवी पुत्रियां किशनाराम को हिस्सा 1/36 तथा प्रतिवादी संख्या 13 व गंगा देवी, नानची देवी पुत्रियां मूलाराम को हिस्सा 1/36 का तथा शेष 3/4 हिस्सा शेष अन्य सह-खातेदारो को जमाबन्दी में दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं कर ना ही किसी अन्य से करवाये। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.08.2022 को जारी की गई।

५  
ए.सी.ई. (फा.ट्रे.)  
ए.सी.ई. (फा.ट्रे.) नवलगढ़  
मोहर